दिनांक 15.12.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त के0एल0 चौहान ने निगम क्षेत्र के भूमि एवं भवन स्वामियों को चालू वित वर्ष 2017–18 का सम्पत्तिकर एक मुश्त जमा करने पर दो प्रतिशत की छुट की अवधि पूर्व में 30 नवम्बर 2017 थी नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा आम नागरिकों को और सुविधा प्रदान करते हुए 31 दिसम्बर 2017 तक बढ़ाया गया है।

सम्पत्तिकर अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भूमि एवं भवन स्वामियों को एक मुश्त राशि जमा करने पर छुट दिये जाने के संबंध में महापौर परिषद की बैठक में संकल्प पारित कर दो प्रतिशत की छुट की अवधि को 31 दिसम्बर तक बढ़ाई गई है। आम नागरिकों से अपील हैं कि अधिभार से बचने के लिए दो प्रतिशत छुट के साथ सम्पत्तिकर की राशि एक मुश्त जमा कर इसका लाभ उठावें एवं अधिभार से बचें। आम नागरिकों को और सुविधा देते हुए अवकाश के दिन 16 एवं 18 दिसम्बर को भी राशि जमा करने हेतु कार्यालय खुला रहेगा ।

जन सम्पर्क अधिकारी